शीर्ष प्राथमिकता/मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश
संख्या–1006/69–1–2017–11(रिट)/2014

प्रेशक

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त नगर आयुक्त,**
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर,**
शहर मिशन प्रबंधन इकाई/परियोजना निदेशक,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त अधिशासी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2017

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 एवं 572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–098/241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 25.01.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों में उल्लिखित सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता वर्तमान में संचालित सभी अस्थायी/स्थायी प्रकार के आश्रय गृहों में सुनिश्चित किया जाना है। यह भी अवगत कराया गया था कि उक्तानुसार मानकों के अनुरूप जिन आश्रय गृहों में सेवाओं/सुविधाओं में कोई कमी है, तो उसमें तत्काल सुधार कराया जाय और शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों में अंकित मानकों के अनुरूप बनाया जाय। इस हेतु उक्त पत्र दिनांक 25.01.2017 के साथ संलग्न प्रपत्र 'क' में अपेक्षित सेवाओं/सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें आश्रय गृहों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं/प्राविधानों का विवरण निम्नवत उल्लिखित हैः–

शेल्टर होम का प्रकार, न्यूनतम 50 sq.ft. प्रति व्यक्ति स्थान की उपलब्धता का मानक, सभी मौसम हेतु उपयुक्त ढ़ाचा (कंकरीट/पत्थर, सीमेन्टेड आदि), लोकेशन, हवादार कमरे, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में शौचालय की उपलब्धता, पर्याप्त संख्या में बाथरूम की उपलब्धता, स्टैन्डर्ड प्रकाश की व्यवस्था, अपेक्षित अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, मच्छर मारने वाले उपकरण/व्यवस्था, नियमित साफ सफाई/धुलाई, कम्बल, गद्दे, चादरों, कामन किचेन स्थल की उपलब्धता, गैस कनेक्शन, भोजन पकाने के बर्तन की व्यवस्था, बच्चों के देखभाल हेतु आंगनवाड़ी से समन्वयन, व्यक्तिगत लॉकर, सामान्य मनोरंजन का स्थान, सी0सी0टी0वी0 की स्थापना, लिंकेजेज विद

–2/

इनटाइटिलमेंट्स, शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था, शेल्टर होम में गाइड लाइन के अनुसार स्टाफ की उपलब्धता, गाइड लाइन के परिपेक्ष्य में अभिलेखों की उपलब्धता, आश्रय हेतु लिये जाने वाला शुल्क धनराशि, प्रबन्धन समिति का गठन, संचालन एवं प्रबंधन व्यवस्था, अन्य सेवाएं/सुविधाओं की उपलब्धता।

2. आप अवगत हैं कि शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2016 के अनुसरण में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–365 दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो शहरी बेघरों के लिये उपलब्ध आश्रयों के भौतिक सत्यापन के साथ यह भी सत्यापन कर रही है कि क्या वे आश्रयगृह दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्कीम हेतु प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं?

3. श्री नीरज कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) सदस्य सचिव, शहरी बेघरों के लिए आश्रय समिति के अर्द्धशा0 पत्र संख्या–N11028/8/2014–USD(Vol-V)FTS-16910 दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति का दृढ़ मत है कि प्रदेश के शहरी बेघरों के लिए सभी आश्रयगृह (स्थायी, अस्थायी या रैन बसेरा) जो राज्य में विद्यमान हैं या निर्माणाधीन हैं या नवीनीकरण में हैं, चाहे राज्य सरकार या नगर निगम/नगरीय निकायों या स्वैच्छिक संस्थाओं या न्यासों या किसी अन्य द्वारा संचालित हों, में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना की गाइडलाइन्स में दिये गये प्राविधानों और मानकों के अनुरूप सभी सुविधायें और सेवायें उपलब्ध कराई जायें। सभी वैशिष्ट्य और प्राविधान जैसा कि उक्त गाइडलाइन्स में अंकित हैं, उनमें उपलब्ध कराई/लगाई जायें। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए 10 दिनों में यह अवगत कराया जाय कि कितनी अवधि में राज्य में संचालित शहरी बेघरों के लिए विद्यमान सभी आश्रय गृहों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गाइडलाइन्स के अनुरूप सभी सुविधायें और वैशिष्ट्य (facilities and features) उपलब्ध करा दी जायेंगी?

4. इस पर भी बल दिया गया है कि यदि कोई आश्रयगृह, जो राज्य में संचालित है और उन्हें दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गाइडलाइन्स के अनुरूप बनाने के लिए उनके उच्चीकरण/नवीनीकरण या उनमें अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता हो, तो सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। उपरोक्तानुसार सूचनायें निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है–

क्र0 सं0	नगरीय निकाय का नाम	सचालक संस्था/निकाय का नाम	विद्यमान आश्रय गृहों का नाम और अवस्थिति	आश्रय की क्षमता	गाइडलाइन्स के अनुसार उपलब्ध सेवायें/सुविधायें आदि	गाइडलाइन्स के अनुसार अनुपलब्ध सेवायें/सुविधायें	किस अवधि तक गाइडलाइन्स के अनुसार समस्त सुविधायें/सेवायें/प्राविधान उपलब्ध करा दिये जायेंगे	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विद्यमान (Existing) आश्रयों का विवरण उपरोक्त प्रारूप में अंकित करते हुए विलम्बतम एक

–3/

सप्ताह में यह अवगत कराने का कष्ट करें कि उनमें दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय के प्रचालनात्मक दिशा–निर्देशों में समाविष्ट सुविधायें और विशेषतायें (facilities and features) कितनी अवधि में उपलब्ध करा दी जायेंगी? अपेक्षित सूचनायें/विवरण ईमेल–nulmup@gmail.com पर भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं। कृपया उक्त निर्देशों के कम में अपेक्षित सूचना प्राथमिकता के आधार पर मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1006(1)/69–1–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।